केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

याचिका सं. 310/टीएल/2023 दिनांक: 03.05.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा – भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली 110021 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड (इसके पश्चात् 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) पर "फेस–IV (7 जीडब्ल्यू): भाग ई1 के अधीन गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विभव नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी" के लिए पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है निम्नानुसार है:

योजना का नाम और कार्यान्वयन की समय–सीमा	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	टिप्पणी
फेस–IV (7 जीडब्ल्यू): भाग ई1 के अधीन गुजरात के खावडा क्षेत्र में विभव नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली कार्यान्वयन समय–सीमा: आबंटन की तारीख से 24 मास	216	अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा आरटीएम के अधीन कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 25.10.2023 और 4.4.2024 के अपने पत्र द्वारा उपर्युक्त पैरा–1 में यथोल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण लाइन के निष्पादन हेतु खावड़ा – भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 310/टीएल/2023 में दिनांक 3.5.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. खावड़ा – भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.adanienergysolutions.com** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस एतद् द्वारा, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया जाता है कि आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर नोटिस के प्रकाशित होने से एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव